A6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.131 / अपील / 2019 (GCMS No. 2019 / 00240)	30.09.2019	27.05.2024

1. गिरिराज किशोर आ. श्री भोजराज जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील व जिला बून्दी
2. पृथ्वीराज आ. श्री भोजराज जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील व जिला बून्दी
3. फूलचन्द आ. श्री भोजराज जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. भोजराज आ. श्री छीतरलाल जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम दोताना, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
3. सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)
4. उप पंजीयक, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्टस की ओर से श्री रणवीर सिंह आसोलिया, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री जुगराज गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री प्रकाशचन्द भण्डारी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 22.05.2018 ग्राम ख्यावदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार छीतरलाल आ. गोपाललाल कौम गूजर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

.....

अपील प्रस्तुत होने पर कमांक 131/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00240 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं.75 रकबा 07 बिस्वा, ख.सं. 137 रकबा 05 बिस्वा, ख.सं. 334 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 540 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 545 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, ख.सं. 754/138 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम ख्यावदा में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार छीतरलाल आ. गोपाललाल जाति गुर्जर निवासी ख्यावदा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार छीतरलाल द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 15.04.2005 को अपने पोत्रों अपीलांट सं.1 लगायत 3 के पक्ष में वसीयत का निष्पादन रूबरू गवाहन किया गया था। खातेदार छीतरलाल की मृत्यु होने पर अपीलांटस द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पो.सं.3 के न्यायालय में प्रकरण सं.20/2017 दिनांक 20.7.2017 दर्ज किया गया, उक्त प्रकरण में कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पो.सं. 3 द्वारा रेस्पो.सं. 1 व 2 को कार्यवाही में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया जाकर नोटिस जारी किये गये, किन्तु नियत पेशी पर रेस्पो.सं. 2 उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद अपीलांटस द्वारा भी उक्त प्रकरण में उपस्थित होने बाबत रेस्पो.सं.2 को सूचना दी गई, किन्तु रेस्पो.सं.2 वहां उपस्थित नहीं हुई। रेस्पो.सं.3 द्वारा उक्त वसीयत की कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान ही खातेदार छीतरलाल की मृत्यु हो जाने के आधार पर उक्त कृषि भूमि का फोती नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 22.05.2018 को रेस्पो.सं. 1 व 2 के नाम तस्दीक कर दिया गया, जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण की अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.09.2019 को ग्राम ख्यावदा में रेस्पो.सं. 2 द्वारा उक्त जमीन में उसका नाम दर्ज होने एवं जमीन बेचान करने की बात कहीं जाने पर हुई। उसी दिन अपीलांटस द्वारा पटवारी से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 18.09.19 को नकल प्राप्त होते ही अपील मध्य अवधि पेश की गई है। अपील में मियाद कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान वकील अपीलांटस के कथनों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांटस द्वारा वसीयत के आधार पर रेस्पो.सं. 3 के यहां नामान्तरकरण की कार्यवाही विचाराधीन होना बताया है किन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता को निर्णीत नहीं किया जा सकता है, यह कार्य केवल नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय जो नामान्तकरण खोला गया है वह विरासत के आधार पर विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। रेस्पो.सं. 1 पुत्र एवं रेस्पो.सं.2 मृतक खातेदार छीतरलाल की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार छीतरलाल के विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने अपने कथन के समर्थन में 2021(1) डीएनजे पेज 723, आरआरडी 1995 पेज 773, आरआरडी 2017 पेज 525 एवं आरआरडी 2000 पेज 327 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांटस सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 22.05.2018 की दिनांक 17.09.2019 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 27.09.2019 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गंणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वास्ते वसीयत के आधार पर मृतक खातेदार छीतरलाल के खाते की ग्राम हनोत्या एवं ग्राम ख्यावदा में स्थित आराजी पर वसीयतगृहिता के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिसल नं. 20/2017 दिनांक 20.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान व गवाहों को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त कार्यवाही में

जिला कलेक्टर, बून्दी

दिनांक 15.06.2018 को पक्षकारान व गवाहों के बयान दर्ज कर पत्रावली में शामिल किये गये। उक्त जैरकार कार्यवाही के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को ग्राम ख्यावदा में स्थित वादग्रस्त आराजी किता 6 कुल रकबा 32 बीघा 07 बिस्वा बाबत मृतक खातेदार छीतरलाल के वारिसान रेस्पो.सं.1 व रेस्पो.सं.2 के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने यहां वसीयत के संबंध में विचाराधीन कार्यवाही को निर्णीत किये बिना ही विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जिससे पहले से जैरकार कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रहा, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रथमतः उक्त कार्यवाही को निर्णीत किया जाना चाहिए था, तदोपरान्त विधिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए थी, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से वसीयत के संबंध में दौराने जैरकार कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल होना प्रकट है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण में विधिक दोष पाये जाने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। साथ ही वसीयत बाबत विचाराधीन उक्त कार्यवाही को बाद सुनवाई पक्षकारान निर्णीत किया जाने तथा मृतक खातेदार छीतरलाल के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 759 दिनांक 22.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी गिरिराजकिशोर, पृथ्वीराज, फूलचन्द पि.भोजराज द्वारा प्रस्तुत वसीयत के संबंध में विचाराधीन कार्यवाही प्रकरण संख्या 20/2017 में मृतक खातेदार छीतरलाल के विधिक वारिसान को भी सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते